संख्या- 153/2024/I/810511/2024/71-1099(099)/10/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 02 दिसम्बर, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के लिए अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत फायर फाइटिंग एक्यटिगुशर्स (Fire Fighting Extinguishers) के क्रय एवं स्थापना हेतु प्राधिकार पत्र की अनुमति (डी0पी0ए0) प्रदान किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2024-25/641, दिनांक 18.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के लिए अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत फायर फाइटिंग एक्यटिगुशर्स (Fire Fighting Extinguishers) के क्रय एवं स्थापना हेतु रू0 149.55 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राधिकार पत्र की अनुमति (डी0पी0ए0) प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **मेडिकल कालेज, मेरठ के लिए अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत फायर फाइटिंग एक्यटिगुशर्स (Fire Fighting Extinguishers) के क्रय एंव स्थापना** हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-72- राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मानक मद 26- मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0 149.55 लाख (रू0 एक करोड़ उनचास लाख पचपन हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुमति इस शर्त के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रधानाचार्य सुसंगत वित्तीय एवं क्रय के नियमो के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,49,55,000 (रुपये एक करोड़ उनचास लाख पचपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031057200 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र/ के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
6. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।